न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 162/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हेमराज पुत्र गिरधारीराम 2. ताजाराम पुत्र गिरधारीराम 3. पीराराम पुत्र गिरधारीराम 4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीराम 5. शेराराम पुत्र गिरधारीराम 6. कलाराम पुत्र नीम्बाराम 7. ठाकराराम पुत्र नीम्बाराम 8. मोटाराम पुत्र शेराराम 9. हीराराम पुत्र शेराराम 10. चन्दु पत्नी शेराराम 11. चूनाराम पुत्र हडूमानराम 12. जीयाराम पुत्र हडूमानराम 13. ठाकराराम पुत्र हडूमानराम 14. चेनी पत्नी हडूमानराम 15. जोगाराम पुत्र गेनाराम 16. मिसराराम पुत्र गेनाराम 17. लहरो पत्नी गेनाराम 18. मानाराम पुत्र गिरधारीराम 19. धनाराम पुत्र हेमराज 20. हडूमानराम पुत्र हेराजराम, उम्र–व्यसक, जातियान–जाट, निवासी होडू, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतराविप्रार्थीगण		1. आदाराम पुत्र बालाराम 2. डालूराम पुत्र बालाराम 3. नारणाराम पुत्र बालाराम 4. गेनाराम पुत्र बालाराम 5. पुनमाराम पुत्र रुपाराम 6. भूराराम पुत्र रुपाराम 7. बरजोगाराम पुत्र रुपाराम 8. किरताराम पुत्र रुपाराम 9. गंगाराम पुत्र रुपाराम 10. नेनाराम पुत्र ईशराराम 11. मूलाराम पुत्र ईशराराम 12. ओमाराम पुत्र ईशराराम 13. गोमाराम पुत्र ईशराराम 14. सावलाराम पुत्र हेमाराम 15. हडूमानराम पुत्र हेमाराम 16. कानाराम पुत्र बेहनाराम 17. डालूराम पुत्र जेहाराम 18.चतरुदेवी पत्नी दुर्गाराम, जातियान –जाट 19. छगनीराम पुत्र पदमाराम 20. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 21.सेवाराम पुत्र पदमाराम, जातियान–ब्राहम्ण, निवासी–होडू, तहसील– सिणधरी, जिला–बालोतरा 22.ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत–होडू, तहसील–सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर भूमि की [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:51 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा होडू पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 285 रकबा 8.4136 हैक्टयर व खसरा संख्या 286 रकबा 0.7038 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:51 IST
Reason: SelfAttested